कार्यालय संयुक्त निदेशक उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145
जनपद-उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांक : एच0आर0सी0/ 3५7 **दिनांक : २८-7 , 2022**

अल्पकालिक निविदा की सूचना

गत् वर्षों की भॉति उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अमरूद बाग की बिक्री हेतु ठेकेदारों/अधिकृत फर्मों द्वारा अल्पकालिक निविदा प्रपत्र (Tender Form) दिनांक 27.07.2022 से 03.08.2022 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयावधि (प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक) में रू0 2000.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रू0 360.00 कुल रू0 2,360.00 (रूपये दो हज़ार तीन सौ साठ मात्र) में नकद/बैंक ड्राफ्ट केंद्र कार्यालय में जमा करते हुये क्रय किये जा सकते है एवं निविदायें दिनांक 02.08.2022 से 03.08.2022 तक कार्यालय समयावधि में (प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:30 बजे तक) निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र क्रय की रसीद तथा धरोहर राशि के ड्राफ्ट के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखें निविदा बाक्स में डाली जायेंगी। निविदायें संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा कार्यालय में दिनांक 04.08.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी तथा निविदा केवल उन्हीं ठेकेदारों/फर्मों की स्वीकार की जायेंगी, जिन निविदादाताओं द्वारा दिनांक 02.08.2022 से दिनांक 03.08.2022 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयावधि (प्रातः 9:00 से सायं 4:30 बजे) में क्रय किये गये निविदा प्रपत्र फीस रू0 2000.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रू0 360.00 कुल रू0 2360.00 (रूपये दो हज़ार तीन सौ साठ मात्र) की रसीद एवं निविदा में भाग लेने हेतु **रू0 01 लाख तक की निविदा हेतु रू0 5,000.00, 01 लाख से 05 लाख तक की निविदा हेतु रू0 50,000.00 तथा रू0 05 लाख से रू0 10 लाख तक की निविदा हेतु रू0 1,00,000.00** की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो, **नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर** के नाम ***भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पी0एन0बी0 बैंक अथवा यूनियन बैंक, पन्तनगर*** शाखा में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखें निविदा बाक्स में डाला गया हो। निविदादाता द्वारा प्रत्येक लाट हेतु पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा अर्थात् एक निविदा प्रपत्र पर केवल एक ही लाट की निविदा धनराशि स्वीकार की जायेगी। निविदा की धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट एवं क्रय किये निविदा प्रपत्र (Tender Form) की रसीद की मूल प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं करने की दशा में निविदा बाक्स में डाले गये निविदा प्रपत्र को निरस्त समझा जायेगा।

समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि निविदा में भाग लेने से पूर्व बागों का भली–भॉति निरीक्षण कर ही निविदा डालें, बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

बागों का विवरण:–

लाट सं0.	विभाग का नाम	प्रक्षेत्र संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1 नं0	उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा	4बी एवं 96 नं0	08 एकड़ प्रक्षेत्र में (7.54 एकड़ क्षेत्रफल में 5–10 वर्ष से अधिक आयु के एवं 0.50 एकड़ में 5 वर्ष से कम आयु के पौधे सम्मिलित है।)
2 नं0		5, 6बी, 6सी, 12बी	03 एकड़ प्रक्षेत्र में (05 वर्ष से अधिक आयु के पौधे)

अल्पकालिक निविदा की शर्तें:

1. बागों के ठेके की अवधि 31.03.2023 तक होगी।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बागों का भली–भांति निरीक्षण कर लें। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. उच्चतम निविदादाता एवं द्वितीय उच्चतम निविदादाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट को छोड़कर अन्य निविदादाता द्वारा जमा किया गया धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट निविदा समाप्ति के तुरन्त पश्चात् लौटा दिया जायेगा, परन्तु रू0 2,360/– (रुपये दो हजार तीन सौ साठ मात्र) की निविदा प्रपत्र फीस (Tender Form Fees) वापस नहीं की जायेगी।
4. निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदा को अस्वीकृत कर दें।
5. सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालय में अपनी पार्टी/वेन्डर का अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

6. सफल निविदादाता को निविदा की समस्त धनराशि अपने खाते के माध्यम से ही भुगतान करनी होगी, किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
7. उच्चतम सफल निविदाता द्वारा निविदा में भरी गई उच्चतम धनराशि में ही 4 प्रतिशत धनराशि ई0एस0आई0 के रूप में एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 के रूप सम्मलित रहेगा।
8. उच्चतम निविदादाता को कुल धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि अग्रिम के रूप में निविदा समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करना होगा, प्रथम 40 प्रतिशत धनराशि में निविदा में भाग लेने हेतु जमा की गई धरोहर धनराशि को समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि उच्चतम निविदादाता 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता हैं, तो निविदा में भाग लेने हेतु जमा की गई धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
9. कुलपति महोदय से निविदा पर स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकृत डाक/व्हाट्सप द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व, उच्चतम धनराशि की 40 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) जमा करनी होगी साथ ही उच्चतम राशि की 10 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप में अलग से जमा करनी होगी। जिसको नियमानुसार ठेका समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी। इस धनराशि में पूर्व में जमा की गई धरोहर धनराशि को समायोजित नहीं की जायेगी। यदि ठेकेदार निश्चित दिनांक तक 40 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करता हैं तो वह 20 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ अगले 15 दिन तक धनराशि जमा कर सकता है। यदि फिर भी ठेकेदार 40 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करता है, तो ठेका निरस्त कर ठेकेदार द्वारा पूर्व में जमा की गयी धरोहर धनराशि +40 प्रतिशत प्रथम किस्त को जब्त कर लिया जायेगा।
10. ठेकेदार को शेष 20 प्रतिशत धनराशि फल तोड़ने से पहले जमा करनी होगी। इसमें पूर्व में जमा धरोहर धनराशि को समायोजित कर लिया जायेगा।
11. शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु ठेकेदार को फलों की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को देनी होगी।

लाट सं0	फल बाग का नाम	प्रक्षेत्र संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	शोध कार्य हेतु दिये जाने वाले फल की मात्रा	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से फल तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
1 नं0	अमरूद बाग	4बी एवं 96 नं0	08 एकड़ प्रक्षेत्र में (7.5 एकड़ क्षेत्रफल में 5–10 वर्ष से अधिक आयु के एवं 0.50 एकड़ में 5 वर्ष से कम आयु के पौधे सम्मिलित है।)	600 कि0ग्रा0	100 फल
2 नं0		5, 6बी, 6सी, 12बी	03 एकड प्रक्षेत्र में (05 वर्ष से अधिक आयु के पौधे)	500 कि0ग्रा0	100 फल

12. ठेके की शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रू0 100/– के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने की दिनांक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
13. ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस/ग्राम प्रधान/विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र कार्यालय में जमा करना होगा।
14. अनुसंधान वाले पेड़ों/बागों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी/वैज्ञानिक की उपस्थिति में की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके ठेकेदार को अवगत् करा दिया जायेगा। अगर ठेकेदार अनुसंधान वाले पेड़ों की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या सम्बन्धित वैज्ञानिक की अनुपस्थिति में करता है, तो ठेकेदार से उचित क्षतिपूर्ति की भरपाई की जा सकती है, जुर्माना लिया जा सकता है। ठेकेदार से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए फल परियोजना समन्वयक/वैज्ञानिक/परियोजनाधिकारी की संस्तुति को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।
15. सफल निविदादाता द्वारा बागों में लगे वृक्षों का कटान नहीं किया जायेगा और न ही उनकी टहनियों की कॉट–छॉट की जायेगी। अमरूद बागों में कांट–छांट से सम्बन्धित प्रक्रिया सम्बन्धित फल वैज्ञानिक की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही की जा सकती है।
16. केंद्र द्वारा नर्सरी में फल–पौध तैयार करने हेतु अमरूद बाग से साइन लेने एवं एयर लेयरिंग बॉधने पर ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

17. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को केन्द्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि केन्द्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है, तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
18. उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर उपलब्ध सिंचाई साधनों के माध्यम से शोध के अर्न्तगत बागों में सिंचाई की जाती है। शोध प्लाटों के अतिरिक्त सिंचाई से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
19. सफल निविदादाता को बागों की जुताई, सिंचाई, खाद डालना, रसायन का स्प्रे एवं सुरक्षा चौकीदारी की व्यवस्था इत्यादि समस्त कार्यों की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। ठेकेदारों को बागों में रसायन (फफूँदीनाशक/कीटनाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि सफल निविदादाता द्वारा बिना अनुमति के किसी रसायन/कीटनाशक का छिड़काव वृक्षों पर करने के उपरान्त वृक्ष सूखता है अथवा फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का आंकलन केंद्र द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा एवं सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली की जायेगी।
20. सफल निविदादाता को किसी भी सामग्री/फल को केंद्र से बाहर ले जाने हेतु केंद्र कार्यालय से गेट–पास प्राप्त करना होगा, बिना गेट–पास के केंद्र से कोई सामान बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
21. सफल निविदादाता बाग में किसी अन्य फसल का उत्पादन नहीं कर सकता है।
22. केंद्र द्वारा बनाये गये रास्तों का उपयोग ही सफल निविदादाता को करना होगा। किसी नये रास्ते का निर्माण अथवा बाउण्ड्री को तोड़कर अपना सामान/फल ले जाने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो सफल निविदादाता पर दण्ड/जुर्माना लगाया जायेगा।
23. ठेकेदारों को उक्त सभी शर्तो का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तो का पालन नहीं करता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 23 तक) मेरे द्वारा पढ़ ली गई हैं तथा मुझे सभी शर्तें मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता..

पूरा नाम..

पिता का नाम..

ग्राम एवं पो0..

तहसील .... जनपद..

पिन .... दूरभाष सं0 ....

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

संयुक्त निदेशक
उद्यान अनुसंधान केन्द्र
पत्थरचट्टा